

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 18 फरवरी, 2020 / 29 माघ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th February, 2020

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-*cum*-JMIC (IV), Hamirpur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-*cum*-JMIC, Barsar, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. *etc.* in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under Major

head "2014 Administration of Justice" during the maternity leave period of Smt. Monika Sombal, Civil Judge-*cum*-JMIC, Barsar, H.P. on and *w.e.f.* 27-01-2020 to 24-07-2020 with permission to prefix Statehood day and Republic day (after flag hoisting ceremony) fell on 25-01-2020 and 26-01-2020 or until she returns from leave.

By order, Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Dated the 29th January, 2020

No. HHC/ Estt.3(472)/96.—16 days earned leave on and with effect from 03-02-2020 to 18-02-2020, with permission to prefix second Saturday, Sundays and 1st batch special casual leave *w.e.f.* 11-01-2020 to 02-02-2020, is hereby sanctioned in favour of Shri Avnish Kant Tiwari, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Avnish Kant Tiwari is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Avnish Kant Tiwari would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Dated the 24th January, 2020

No. HHC/ Estt.3(517)/2001.—04 days earned leave on and with effect from 18-12-2019 to 21-12-2019, with permission to suffix Sunday fell on 22.12.2019, is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Mamta Rao, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Mamta Rao has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Mamta Rao would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order, Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Dated the 29th January, 2020

No. HHC/ Estt.3(532)/2002-I.—13 days earned leave on and with effect from 03-02-2020 to 15-02-2020, with permission to affix Sundays falling on 02-02-2020 and 16-02-2020, is hereby sanctioned, in favour of Shri Subhash Kumar, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Subhash Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Kumar would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Dated the 22nd January, 2020

No. HHC/ Estt.3(628)/2009-loose.—04 days commuted leave on and *w.e.f.* 13-01-2020 to 16-01-2020, with permission to prefix Second Saturday and Sunday fell on 11-01-2020 & 12-01-2020, is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Rita Thakur, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Rita Thakur has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Rita Thakur would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for her proceeding on leave.

By order, Sd/-Registrar General.

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st January, 2020

No. Agr.B-F(1)1/2018.—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 14th May, 2018, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to change the name of Zero Budget Natural Farming (ZBNF) to Subash Palekar Natural Farming (SPNF), which has been

adopted as a mean to meet the targets of "Prakritik Kheti Khushhal Kisan" Yojna and further to use PKKKY/PK3Y as the abbreviated name of the Yojna, with immediate effect.

By order, Sd/-Principal Secretary (Agri.).

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st January, 2020

No. Agr.B-F(1)-1/2018.—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 23rd Jan., 2018 and 5th April, 2018, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to modify the earlier constituted Task Force for Promotion of Organic Farming/Zero Budget Natural Farming to Task Force for Promotion of Natural Farming in Himachal Pradesh as under:—

1.	Chief Secretary to Government of Himachal Pradesh	Chairman
2.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Agriculture) to the Govt. of H.P.	Member
3.	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary (Animal Husbandry) to the Govt. of H.P.	Member
4.	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary (Forests) to the Govt. of H.P.	Member
5.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Horticulture) to the Govt. of H.P.	Member
6.	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary (Rural Development & Panchayati Raj) to the Govt. of H.P.	Member
7.	Director (Rural Development & Panchayati Raj) to the Govt. of H.P.	Member
8.	State Project Director, PKKK Yojna to Govt. of Himachal Pradesh	Member
9.	Director Agriculture Himachal Pradesh, Krishi Bhawan Shimla-5	Member
10.	Director Animal Husbandry Himachal Pradesh, Shimla – 5	Member
11.	Director Horticulture Himachal Pradesh, Shimla – 2	Member
12.	Director (Research) CSKHPKV, Palampur H.P.	Member
13.	Director (Research) UHF Nauni, Solan H.P.	Member
14.	Managing Director, H.P. State Agriculture Marketing Board, Shimla-2	Member
15.	Executive Director, PKKK Yojna, Krishi Bhawan, Shimla -5	Member Secretary

All other terms and references for the Task Force will remain same as notified earlier.

By order, Sd/-Pr. Secretary (Agri.).

ADVERTISEMENT BYE LAWS 2020 OF DHARAMSHALA MUNICIPAL CORPORATION

NOTIFICATION

Dated: the 17th February, 2020

DMC/Estt(A)7-2/2020.—1. Title & Contents:—(*i*) These Bye laws may be called the Municipal Corporation, Dharamshala Outdoor Advertisement Bye-laws 2020.

- (ii) These Bye laws shall come in to force with immediate effect within the limits of Dharamshala Municipal Corporation after the notification by the Government of Himachal Pradesh in the official gazette.
 - 2. Definitions.—In these bye laws unless the context otherwise requires:—
 - 1. "Act" means Himachal Pradesh Municipal Corporation Act 1994.
 - 2. "Corporation" means Dharamshala Municipal Corporation (DMC henceforth).
- 3. "Advertisement" shall mean any work, letter model sign, device or representation supported on or attached to any post, pole, standard framework or other support wholly or in part upon or over any land, building or structure which or any part of which shall be visible against the sky from some point in any street includes all and every part of any such post, pole, standard frame work or other support. It shall also include any balloon parachute or other similar employed wholly or in part for the purpose of any advertisement announcement or direction upon or over any land, building or upon or over any street.
- 4. "Advertisement Regulation Committee" means Committee consisting of (a) Addl. Commissioner/Assistant Commissioner, Municipal Corporation, Dharamshala, (b) Two Municipal Councilors nominated by the General House of DMC (c) Executive Engineer, Municipal Corporation, Dharamshala, (d) Senior Town Planner/Municipal Town Planner, Municipal Corporation, Dharamshala (e) Executive Engineer (PWD), Dharamshala, (f) Branch in-charge Advertisement, Municipal Corporation, Dharamshala and (g) representative of concerned Highway Authority.
- 5. "Advertisement Zoning Plan" means the numbered plan signed by the Commissioner and kept in this office defining the areas of special control and restrictions regarding the advertisement applicable to such areas.
 - 6. **Area of Special control**" means as area so defined in the advertisement zoning plan.
- 7. "Enclosed Land" shall mean the land which is wholly or for the most part enclosed within the hedge fence, wall or similar screen or structure and shall not include any railway station together with the yards and for Court thereof, whether enclosed or not, any public park, public garden or other land held for the use or enjoyment of the public.
- 8. "**Illuminated advertisement**" shall mean any advertisement with self luminous by an outside source of light, but not include an illuminated display of goods if such display:
 - a. is of goods merely bearing labels showing the name of article of its manufacturer or of other; and

- b. is made by lighting which is not, in the opinion of the Commissioner more than is necessary to make the goods labels visible at night.
- 9. "Name Plate" shall mean an advertisement announcing the name of owner and or name of occupier of a building and/or name of a building upon which such advertisement is fixed, exhibited painted, pasted retained or displayed, provided that the size of the letters constituting such advertisement does not exceed 2" in height and the total area does not exceed 4 square feet.
- 10. "Structure" shall include a post, pole, tree, bridge, embank and road surface and also a tramcar, omnibus and any other vehicle any movable, board used primarily as an advertisement or advertising medium.
 - 11. **"Schedule"** means the schedule indicating the rate/fees for advertisements.
- **3. (A) Regulation and control of advertisement.**—No advertisement shall be erected, exhibited, fixed or retained upon or over any land, building, wall, boarding, frame, post or structure or place within the City without the written permission of the Commissioner granted in accordance with bye-laws made under this Act.

Provided that no permission shall be required for any advertisement, which:—

- (a) is exhibited within the window of and building if the advertisement relates to the trade, profession or business carried on in that building; or
- (b) relates to the trade profession or business carried on within the land or building upon or over which such advertisement is exhibited or to any sale or letting of such land or building or any effects therein or to any sale entertainment or meeting to be held on or upon or in the same; or
- (c) relates to the name of the land or building upon or over which the advertisement is exhibited, or the name of the owner or occupier of such land or building; or
- (d) relates to the business of a railway administration and is exhibited within any railway station or upon any wall or other property of a railway administration; or
- (e) relates to any activity of the Government or Union of India or the Corporation.
- **3. (B) Prohibition of Sticking, fixing hanging or painting bills, posters, advertisement, notice etc.**—(*i*) Hoardings, advertisement/ banners will not be allowed in the acquired width of the National/ State highway and other schedule road and footpath as they cause traffic hazard and are against the instruction of the Govt. of India and Hon'ble Court. Ii.
- *ii.* No Hoarding, advertisements should be put at the place where effects endangers the growth of flora and fauna. Iii
- *iii.* No hoarding, advertisement should be located in thickly wooded area and no any kind of hoarding should be place on trees. Iv
 - iv. No hoarding, advertisement should exceed dimension size of 16 Sq. Meters.
- v. No hoarding, advertisement, banners should be put up in contravention of any law & rules against the guidelines notified by any department.

- vi. No hoarding, advertisement should locate near a water source.
- *vii.* No hoarding, advertisement should be in the form of writing engraving nailing and carving on any Natural of inanimate object.
 - viii. No hoarding, advertisement, banner will be allowed on the roofs of buildings.
- *ix.* Only sign of premises are allow up to 3 Sq m. between slab and lintel of the building to the occupier/ owner.
- x. Directional sign to Govt. offices religious places will be allowed by the Corporation, The type, size and location of these shall be also approved by the Corporation. The DMC has to keep in view requisite site clearness, so that there is no traffic hazard due to installation of such board.
- *xi*. The Corporation shall provide notice board for the purpose of sticking fixing or hanging posters notice and advertisement, which shall be available for use on an application to be made to the Commissioner on payment of fee provided for in these byelaws.
- *xii.* No hoarding, advertisement should be located/ positioned on a sharp turn, "U" turn and blind turns.
- *xiii.* The beauty of nature for matters such as hills, rivers, trees and rock should not be destroy by indiscriminate installation of commercial advertisement.
 - xiv. No writing/ defacing of retaining walls and parapets could be allowed.
 - 4. Outdoor advertisement and road safety criteria

An advertisement device may be considered a traffic hazard:—

- a. If it interferes with road safety or traffic efficiency;
- b. If it interferes with the effectiveness of a traffic control device (eg. traffic light, stop or give way sign);
- c. Distracts a driver at a critical time (e.g. making a decision at an intersection);
- d. Obscures a driver's view of a road hazard (e.g. at corners or bends in the road);
- e. Gives instructions to traffic to "Stop", "halt" or other (e.g. give way or merge);
- f. Imitates a traffic control device:
- g. Is a dangerous obstruction to road or other infrastructure, traffic, pedestrians, cyclists or other road users;
- h. Is in an area where there are several devices and the cumulative effect of those devices may be potentially hazardous; and
- *i*. If situated at locations where the demands on driver's concentration due to road conditions are high such as at major intersections or merging and diverging lanes;

- 5. Control of the physical characteristics of advertising devices shall be as follows:—
- a. Advertising shall not contain flashing red, blue or amber point light sources which when viewed from the road, could give the appearance of an emergency service or other special purpose vehicle warning light's
- b. All lighting associated with the Advertising Device shall be directed solely on the Advertising Device and its immediate surrounds.
- c. External illumination sources shall be shielded to ensure that external 'spot' light sources are not directed at approaching motorists.
- d. Illumination of advertising device is to be concealed or be integral part of it.
- e. Upward pointing light of the device shall not be allowed, any external lighting is to be downward pointing and focused directly on the sign so that glare does not extend beyond the Advertising Device.
- f. The average maintained luminance shall be reduced to 0.5 candela or all together shut, after 2300 hours (11pm) and sunrise by automatic timing devices.
- g. Non-static illuminated Advertising Devices (flashing lights) are not permitted within the boundaries of municipal roads.
- h. Moving, rotating or variable message Advertising Devices are not permitted within the municipal boundaries as these cause a statistically significant distractive influence on motorist's response times to external stimuli.

This permission criterion is not intended to apply to variable message displays used by road authorities for traffic management or for displaying other corporate information. Variable message displays located at bus stops or similar places where messages are directed at, and intended for pedestrians (not motorists) are excluded.

6. Outdoor hoarding and their content criteria

The Municipal authority may take action to modify or remove any Advertising Device that contravenes the following negative advertisements or that otherwise cause a traffic hazard.

List of negative advertisements:—

- Nudity
- Racial advertisements or advertisements propagating caste, community or ethnic differences
- Advertisement promoting drugs, alcohol, cigarette or tobacco items
- Advertisements propagating exploitation of women or child
- Advertisement having sexual overtone
- Advertisement depicting cruelty to animals

- Advertisement depicting any nation or institution in poor light
- Advertisement casting aspersion of any brand or person
- Advertisement banned by any law enacted by the Government of India.
- Advertisement glorifying violence

Advertisement that exploits the national emblem, or any part of Constitution of India, or the person or personality of a national leader or a state dignitary.

- Destructive devices and explosives depicting items.
- Any psychedelic, laser or moving displays
- Advertisement of Weapons and related items (such as firearms, firearm parts and magazines, ammunition etc.)
- Advertisements which may be defamatory, trade libelous, unlawfully threatening or unlawfully harassing Advertisements which may be obscene or contain pornography or contain an "indecent representation of women" within the meaning of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986.
- Advertisement linked directly or indirectly to or include description of items, goods or services that are prohibited under any applicable law for the time being in force, including but not limited to the Drugs and Cosmetics Act, 1940, the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954, the Indian Penal Code, 1860; or
- Any other items considered inappropriate by the municipal bodies.

For all categories of devices (except Category of devices which are directed at pedestrians), text elements on an Advertising Device face should be easily discernible to traveling motorists. This will minimize driver's distraction. Additionally, a sign shall be quickly and easily interpreted so as to convey the required advertising message to the viewer and reduce the period of distraction. The content or graphic layout exhibited on advertising device panel shall avoid hard-to-read and overlay intricate typefaces and have letter styles that are appropriate. Under no circumstances should device contain information in text sizes which would necessitate the driver or passenger in a moving vehicle to stop, read and/or note down, which detrimental to the smooth flow of traffic and distracting for the driver. All signs shall be so designed as to maintain a proportion where, as a general rule letters should not appear to occupy more than 2% of the sign area unless otherwise permitted by the municipal bodies.

7. Prohibited areas and areas of special control and restrictions there-on:

The Commissioner may:—

- (a) by order prohibit the erection, exhibition, fixation, retention or display of any or any class of advertisements in any street road or public park or park thereof or in any place or public resort;
- (b) regulate the erection, exhibition, fixation, retention or display any advertisements, in any manner in the prohibited areas and areas of special control, in accordance with the regulations indicated in the Advertisement Zoning Plans of the said areas.

Explanation:—The restrictions indicated in the advertisement zoning plans shall be in addition to those mentioned in the other clauses of the bye-laws.

8. Classification of advertisement devices.

The categories of the advertisement devices:—

Category 1: Large-format advertisement, mainly fixed on bill boards / uni poles and bridge and flyover panels.

Category 2: Advertisement mounted on public amenities, like public toilets, garbage collection points etc.

Category 3: Fleets, fliers and transport related infrastructure.

Category 4: Advertisement devices for self-advertising in commercial areas.

9. Outdoor advertising and structure criteria

Advertising Device structures including the foundations, for categories 1 and 2 devices, shall be designed and checked for extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity etc. and shall comply with relevant Indian structural design standards, codes of practice and Bye laws guidelines. The designs shall be certified by an experienced and practicing structural engineer. The supporting structure shall have a non-reflective finish to prevent glare.

The device structure shall be well maintained at all times. It shall be painted in colours that are consistent with, and enhance the surrounding area and will be compliant with the criteria or colours laid out earlier in the Bye laws.

Official road furniture such as official signs and delineator guide-posts shall not be used as the supporting structure of an advertising device.

The name of the Advertising Device license holder should be placed in a conspicuous position on the device.

10. Outdoor advertising devices and electrical connection

The electrical connections and components in all Advertising Devices shall be in accordance with relevant Indian Standards and designed to ensure there is no safety or traffic risk. No generator running on diesel/petrol/kerosene or any bio fuel, causing noise, air or water pollution would be allowed for providing power for illumination of any outdoor advertising device.

10.1 Electricity from renewable energy sources.

To promote conservation of electricity, if the illumination at outdoor advertising devices draws power from alternate renewable resources like solar power, such advertisement devices the licensee fee/charges will be half of the actual fee.

11. Permissibility of different category of advertising devices

As per schedule-I

12. Specific conditions

- (a) No advertisement /hoarding should be placed in such a way that obstructs the mountain and valley view of Dharamshala. In such case is found, the Commissioner can impose a penalty as he deems fit not exceeding a sum of twenty thousand rupees and remove the said advertisement.
- (b) All advertisements outside the business area or the building which houses the business can be erected only after permission from the Corporation.

13. Limitation for Disposal of Applications:—

Every application received as per provision of these byelaws shall be acknowledged and the decision on it shall be taken within 7 working days from the date of receipt. If the decision is not taken within the prescribed period, it will be presumed that the required permission is granted subject to payment of due advertisement tax and license fee of the land use charges, wherever applicable and compliance of other clauses of Byelaws.

14. Procedure to grant permission

All advertisements, over the size of 50 sq. feet, permitted over the Municipal land / building shall be through tenders. The tenders can be of single or more hoardings. The tender shall be invited by a committee to be headed by Commissioner or by his representative or in the exceptional circumstances by private experts. The committee shall fix the following minimum things before the tender;

- (a) reserve price
- (b) location of the site/sites
- (c) size of advertisement
- (d) past revenue collection
- (e) number of sites
- (f) period of tender.

The advertisement right shall be given for a period of 3 years or as may be decided. It shall be terminable at 2 months notice without assigning any reason. In the event of default of any terms, the same shall be terminable forthwith without any notice. The tender bid will include the advertisement tax and rent for use of Municipal Corporation Land/Property. However, payment of service tax or any other State/Central tax will be borne by the tendering agency / individual.

15. Procedure for obtaining permission-For grant of permission in respect of advertisement of private property:

The application for permission from the Commissioner shall be accompanied with the following documents:—

1. Written no objection certificate from the landowner of the person, legally authorized to accord such NOC.

- 2. Three copies of plan showing the location, norms and size of the advertisement / hoarding etc. and a copy of the advertisement to be displayed.
- 3. The design and the structure shall be certified by a experienced and practicing Structural Engineer who shall certify the safety aspect from the point of view of its foundations which can bear extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and shall comply with relevant India structural design standards policy and guidelines framed from time to time.

16. Fees on Advertisements

- 1. The advertisement fee shall be payable in advance annually / quarterly / monthly basis as the case may be fixed by the Government / Corporation from time to time provided that if the rate of fee is chargeable on annually, quarterly or monthly basis, the fractions thereof shall be construed accordingly.
- 2. New Advertisement shall not be exhibited unless the advertisement fee in advance as per the condition of sanction is deposited.
- 3. Full monthly fee shall be chargeable if the advertisement duration is for more than 10 days. A month for this purpose shall be the calendar month-provided that where advertisement are to be displayed for part of a year and the fees fixed in the schedule are for one year, the fees payable part of the year shall be calculated on quarterly basis.
- 4. The fees shall be paid by the advertiser to the Dharamshala Municipal Corporation before the erection of the advertisement.

Calculation of fees

The advertisement fees should be calculated on the basis of the following factors:

- a. Category of the advertisement
- b. Size of the advertisement
- c. Location of the advertisement

The value of the factors shall be decide by the general house of the DMC for the first time and future amendments can be done by the Advertisement Regulations committee.

13. Functions of the Advertisement Regulation Committee

- I. The advertisement Regulation Committee shall identify the area of special control and prepare advertisement / zoning plans indicating the categories of advertisement devices permissible in different areas of Special Control.
- II. In case any practical difficulty arises with respect to implementation of these byelaws of the zoning plans, the matter shall be referred to advertisement regulation committee who shall on reference consider and make suitable recommendations to the Commissioner for the decision

14. Jurisdiction

All disputes shall be subject to the jurisdiction of the concerned Civil Courts only.

15. Indemnity

A licensee/sign owner/applicant (licensee) shall be required to indemnify the Municipal Authority for the designated Advertising Device and activities against all actions, proceedings, claims, demands, costs, losses, damages and expenses which may be brought against, or made upon the Municipal Authority which arise as a result of the installation or existence of an Advertising Device. The advertisement shall always be responsible for any injury or damage caused or suffered by any person or property arising out of or relating to the display of device / advertisement and the consequential claim shall be borne by the advertiser who will also indemnify and safeguard the Municipal Authority in respect of any such claim or claims.

16. Insurance

- The Licensee in case of Category 1 and 2 Advertising Devices shall provide a public liability insurance policy for their respective rights, interests and liabilities to third parties in respect of accidental death or bodily injury to person(s) or damage to property.
- The public liability Policy of Insurance shall be for an amount as specified by Municipal Authority for any single event (or such higher amount as may be notified in writing by the Municipal Authority from time to time) and on the terms specified by the Municipal Authority.

17. Appeals

17.1 Appeal against any decision of the Commissioner relating to display of advertisement or any matter related thereto shall lie before the Administrative Secretary, Local Government Department. 17.2 Before lodging an appeal, the affected person shall seek a review of the decision.

Schedule-I Permissibility of different category of advertising devices 9.1 Category 1-Devices

Sr. No.	Description of device	Status	
Permitted Subject to General and Specific Permission Criteria	Not Permitted		
1.1	Billboards/Unipoles/Bipoles		
I.	Industrial Area	Permitted	
II.	Commercial Area	Permitted	
III.	Recreation areas	Permitted	
IV.	Crematoriums and Burial grounds	Not Permitted	
V.	Transportation areas like airports/rail terminals/bus terminals/truck terminals etc	Permitted	
VI.	Other areas like residential area, Institutional, heritage, monument etc. including mixed land use.	Not Permitted	

DHARAMSHALA MUNICIPAL CORPORATION (CONTROL AND REGULATION OF MUCK DUMPING) BYE-LAWS, 2019

NOTIFICATION

Dated: the 17th February, 2020

Preliminary

DMC/Estt.(A)7-1/2020.—1. Short title, commencement and application.—(i) These Bye-laws may be called, "Dharamshala Municipal Corporation (Control and Regulation of Muck Dumping) Bye-laws, 2019."

- (ii) These Bye-laws shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (extraordinary) Himachal Pradesh.
- (iii) These Bye-laws shall be applicable within the jurisdiction of Municipal Corporation, Dharamshala as defined from time to time.
 - **2. Definitions.** (i) In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:—
 - (a) "Act"- means the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) as amended from time to time.
 - **(b)** "Applicant"- means any person applying for permission for dumping of muck in the authorized dumping places as specified by the Corporation.
 - (c) "Authorized Officer"-means any Officer/official duly authorized by the Corporation or its Commissioner under these Bye-laws.
 - (d) "Muck"- includes earth or stone, material of any description or any rubbish or polluted or obnoxious matter or debris including building, construction waste.

- (e) "Place"- means authorized site specified by the Corporation for dumping of muck.
- (f) "Special Judicial Magistrate First Class"- means the Judicial Magistrate having jurisdiction over the area of Municipal Corporation, Dharamshala under the Act.
- (g) words and expressions used in these Bye-laws, but not defined herein, shall have the meaning respectfully assigned to them under the Act.
- **3. Prohibition on muck dumping.**—(*i*) No person, either by himself or through any other, shall knowingly or otherwise, throw or cause to be thrown any kind of muck in any place other than the place specified by the Corporation for dumping of muck within the area of the Municipal Corporation.
- (ii) Any person found dumping muck at non-specified site or at specified site without any permission shall be liable for penalty under these Bye-laws and the vehicle or tools used for such dumping shall be liable for impounding.
- **3.** Procedure for application and grant of permission.—(i) Applicant intending to commence construction within the area of the Corporation, shall in writing submit detailed estimate of muck to be generated from the plot/construction site to the Corporation on the prescribed proforma annexed with these bye- laws as **Appendix-I** at the time of submission of his/her building map/plan for sanction. However, in the case of repair of building or in the case where no planning permission is required, the permission for dumping debris shall be obtained from the Corporation authorities by moving an application mentioning therein full particulars of the applicant, location of the building and the estimate/quantity of muck to be generated on proforma annexed as **Appendix-II**.
- (ii) The estimate submitted by the applicant shall be verified by the concerned Junior Engineer (Civil) of the Corporation after spot inspection and thereafter shall be sent to the Executive Engineer Municipal Corporation for raising the bill and for according necessary permission in favour of the applicant.
- (iii) The permission for dumping of debris shall be accorded only after the receipt of the entire billed amount from the applicant in the Corporation's account.
- (iv) The place for dumping of muck shall be communicated to the applicant by the Corporation authorities in writing on prescribed proforma (**Appendix-III**). The name of the place/site for dumping of debris by the applicant shall also be depicted in the planning permission letter. Further, intimation of the same shall also be given to the Executive Engineer of the Corporation or to the concerned agency or the contractor hired or engaged by the Corporation for managing the dumping site.
- (v) During transportation of the muck, a person shall have to carry the original copy of the permission letter affixed on the windscreen of that vehicle and the same shall have to be shown to the authorized officer of the Corporation at the time of inspection. However, in case of manual transportation of muck the person carrying the same shall have to show the original sanction to the inspecting staff/authorized officer at the time of inspection.
- (vi) There shall be a restriction on movement of the vehicles carrying muck after the sun set and before the sun rise. The normal timings for dumping muck in the dumping site will be between 9:00 am to 5:00 pm However, in case of exigencies and in view of traffic regulations in the area, the Corporation may relax such timings.

- (vii) Nobody shall be permitted to carry the digging and excavation of plot or land after sun set and before sun rise. However, the Corporation in the larger public interest or in the case of exigencies may relax such imposition/restrictions, on receiving written request from the applicant or the concerned agency or the authority.
- (viii) The person, after obtaining the planning permission of building map from the competent authority or before raising the construction at site, is required to install a painted board of the size of 3' x 2' indicating therein the number and date of the sanction, commencement of construction and hours during which construction can be carried out, time when excavation can be done, name of dumping site allotted to the applicant for the purpose of dumping muck, nature of sanction etc.
- (ix) The Engineering Branch of the Corporation shall prescribe the conditions relating to muck generation from the plot, grant of sanction for muck disposal and condition relating to affixing of board at site giving therein the detail as mentioned in clause (viii) at the time of grant of building sanction.
- **5.** Rates for dumping of muck.—The following rates shall be applicable for dumping of muck in the specified places.
 - (i) Per cement bag 5/- per bag
 - (ii) Pickup 150/- per Pickup
 - (iii) Tipper light duty 300/- per Tipper
 - (iv) Tipper Heavy duty/Truck 500/- per Tipper/Truck.

An increase of 10% on these rates shall be applicable after every financial year which shall be notified by the Corporation separately.

- **6.** Duties and responsibilities of the applicant/owner.—(i) It shall be incumbent upon the owner to make available all the sanctions/permission granted by the competent authority to the person so hired or engaged by him for dumping of muck in the place(s) specified by the Corporation.
- (ii) Whosoever is found dumping muck at a place other than the places and in contravention of conditions specified by the Corporation, the owner and the person caught dumping the muck shall be liable jointly for penalty under these Bye-laws.
- (iii) At the time of transportation of muck, the person concerned shall make available the permission to the inspecting staff at the time of inspection of vehicle without causing any hindrance.
- 7. Impounding of vehicle.—(i) The authorized officer or the police authority having jurisdiction within the Corporation, either on the information received by himself or through any other source immediately on receiving such information, may stop and inspect the vehicle carrying muck for the purpose of ascertaining the required permission at any point of time and impound the same if found violating the provisions of these Bye-laws.
- (ii) The vehicle shall only be released in case the registered owner of the vehicle applies for compounding of offence(s) under these Bye-laws.

- (iii) The official impounding the vehicle shall immediately report to this effect in writing either to the Commissioner/Joint/Additional Commissioner or Divisional Forest Officer (Tree Officer) of the Corporation and keep the same in custody at the place designated by the Corporation till it is not released to the registered owner. The halt charges of the vehicle at such designated place shall be levied at the rate of ₹ 1000/- per day payable by registered owner to the Corporation in cash or through demand draft.
- **8.** Compounding of offences.—All the offences punishable under these Bye-laws may, before, the institution of prosecution, be compounded by such officer as may be authorized by the Corporation or its Commissioner in this behalf, on payment of such sum as may be specified by such officer under these Bye-laws.
- 9. Offences to be tried summarily.—The offences, which are not compoundable, shall be tried in a summary manner by the Special Judicial Magistrate First Class under section 383 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 read with Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
- 10. Penalty.—(i) Whosoever, is guilty of dumping muck at a place other than the place(s) specified/notified by the Corporation, the rate of penalty shall be ten times at the first instance, twenty times at the second instance and for the third instance or thereafter the amount of penalty shall be thirty times of the actual rate of dumping as fixed by the Corporation as per Clause 5 of these Bye-laws.
- (ii) In case of repeated violation, in addition to penalty as specified above, the owner at whose instance the construction/excavation work is carried out and is found dumping the muck illegally or without the permission of the competent authority, as the case may be, shall also be liable for disconnection of water, electricity and others civic amenities and the Commissioner may request the competent authority for withdrawal of recognition and registration if any granted in his/her favour including withdrawal of building sanction granted in favour of the owner concerned

By order, Sd/-Commissioner, M. C. Dharamshala

Appendix-I

[See Bye-law 4(i)]

Performa for estimation of Muck generation—Plot/ site development

- 1. Name of the builder/owner/incharge of the plot/ land/ project etc.
- 2. Area and Kh. No. of the plot/land/project
- 3. Location of the plot/land/project including Municipal Ward.

- 4. Whether owner or builder or otherwise please specify.
- 5. Estimated quantity of muck to be generated. (quantity must be specified in cubic metres) alongwith estimate duly signed by the authorized person.

	Signature (Name and Address of the applicant)
Date:	
Place :	

Appendix-II

[See Bye-law 4(i)]

Repair/Reconstruction of existing building

- 1. Name of the builder/owner/incharge of the Plot/ land/ building etc.
- 2. Area and Kh. No. of the plot/land/building
- 3. Location of the plot/land/building including Municipal Ward.
- 4. Whether owner or builder or otherwise please specify.
- 5. Estimated quantity of muck to be generated. (quantity must be specified in cubic metres) alongwith estimate duly signed by the authorized person.

Signature	
(Name and Address of the applicant	t)

Date:

Place:

Appendix-III

[See Bye-law 4(iv)]

Muck Dumping Permission

Tree Officer, DMC.

1.	Applicant	:	
2.	Purpose	: Site Developm	nent/Repair or reconstruction of Building/ Other
3.	Estimated quantity of muck	:	Quintal/Tonnes
4.	Authorized dumping site	:	
5.	Location	:	
6.	Ward No.	:	
Date :			Signature (Executive Engineer/Municipal Engineer) Dharamshala Municipal Corporation.
Copy:			
	1. SHO, Dharamshala.		

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 15th February, 2020

No. HPERC/414/(Security Deposit).—WHEREAS the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) Regulations, 2005 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 30th March, 2005 hereinafter referred as "the said regulations" and subsequently certain amendments were also incorporated in the same;

AND WHEREAS HPSEBL has submitted that the initial security deposit rates were notified long back during the year 2005 based on the tariff applicable at that time which has increased on year to year basis and accordingly these rates need to be revised in order to have secured amount with HPSEBL for consumer defaulting due to various reasons;

AND WHEREAS HPSEBL further submitted that the provision of regulations 6 of these Regulations provides for review of security in respect of those consumers having poor credit rating, the regulations does not provide for revision of security for the consumers whose credit rating are not poor but the monthly bill has increased manifold due to increase in consumption, revision of tariff etc.;

AND WHEREAS in relation to the proposals submitted by HPSEBL, the Hon'ble High Court of HP has also expressed its considered view on suggestions/recommendations of HPSEBL that these proposals need to be approved by the Commission;

Now, Therefore, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission in exercise of the powers conferred under in sub-section (3) of Section 181 of the Electricity Act, rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, and all other powers enabling it in this behalf, hereby proposes to incorporate certain amendments in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) Regulations, 2005 as per the following draft amendment regulations which are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft amendment regulations will be taken into consideration after the expiry of twenty one (21) days from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may, within the aforesaid period, be received in respect thereto. The text of the aforesaid draft amendment regulations alongwith explanatory memorandum are available on the website of the Commission *i.e.* http://www.hperc.org.

The objections and suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block No. 37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009.

DRAFT REGULATIONS

- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) (Third Amendment) Regulations, 2020.
- (2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
 - **2. Amendment of regulation 4.**—In regulation 4 of the said regulations —
 - (i) for the sub-regulation (1), the following sub-regulation (1) shall be substituted, namely:—
 - "(1) The applicant for a new electricity connection or additional load shall, as a precondition to release of connection/additional load, deposit with the distribution licensee initial security for the connected load (in case of connections covered under single part tariff) and for the contract demand (in case of connections covered under two part tariff), at the rates worked out as per regulation 5.";
 - (ii) for the existing sub-regulation (3), the following sub-regulation (3) shall be substituted, namely:—
 - "(3) Save as provided in sub-regulation (1) and sub-regulation (2), the consumer shall, at all the times, also maintain with the distribution licensee an amount equivalent to the average bill (excluding arrears but including late payment surcharge, if any) for (n+1.35) months based on the bills raised in relation to the period of twelve billing months (April to March) of the immediately preceding year.
 - **Note.** 'n' means the number of months contained in the billing cycle applicable for the applicant depending upon the area in which connection is to be released and the tariff category.;

- (iii) in the first proviso to sub-regulation (4), for the words "Rupees ten lacs", the words "Rupees twenty five lacs" shall be substituted;
- (iv) in sub-regulation (5), for the words "Rupees ten lacs" appearing to its first proviso, the words "Rupees twenty five lacs" shall be substituted; and
- (v) in sub-para (b) of sub-regulation (6), for the words "within the validity period, the licensee shall recover the corresponding amount", the following words, brackets and figure shall be substituted, namely:—
 - "even till the date falling on 30th day prior to expiry of the validity period, the distribution licensee shall immediately get the bank guarantee encashed well before the expiry of the validity period and further in such cases, the licensee shall also immediately review the adequacy of the security deposit as per the sub-regulation (1) of regulation 6 and recover the amount of additional security deposit, if due,".
- **3. Amendment of regulation 5.**—For the existing regulation 5 of the said regulations, the following regulation 5 shall be substituted, namely:—
 - **"5. Initial security deposit.**—(1) The distribution licensee shall recover and the applicant shall pay the initial security deposit towards the electricity to be supplied to him, at the rates worked out in sub-regulation (2) of this regulation for each KW of the connected load applied for /sanctioned in case of the tariff categories covered under single part tariff and for each kVA of contract demand applied for/sanctioned in case of tariff categories covered under two part tariff, as per the tariff order of the Commission for the relevant year:

Provided that in case of application for additional load, the initial security deposit shall be recovered only for such additional load or contract demand, as the case may be, and not on the total connected load or contract demand inclusive of the additional load or contract demand.

(2) The distribution licensee shall work out the per kW or per kVA rates of initial security deposit in accordance with the following formula:—

Rate in Rs. per kW of connected load or per KVA of Contract Demand = L*D*H*F*T*(n+1.35)

Where,

'L' is 1KW of connected load for applicant(s) falling under single part tariff; and 1KVA of contract demand in case of applicant(s) falling under two part tariff as per the Retail tariff order of the Commission for the relevant year for which such rates are to be calculated;

'D' is the average number of working days in one month for the relevant tariff category, as tabulated in the table below;

'H' is the number of hours per day for which power is used on average basis by the consumers under respective categories and the values for the same for the respective categories of consumers shall be taken as given in table below;

'F' is demand factor for respective categories of consumers as per the value tabulated below;

'T' is the average tariff in Rs./kWh or Rs./ kVAh as the case may be, for the relevant category (*i.e.* the schedule of tariff) in accordance with the retail tariff order of the Commission for the relevant year for which such rates are to be calculated;

'n' is the number of months contained in the billing cycle applicable for the applicant depending upon area in which connection is to be released and the tariff category;

Table

Category	D	Н	F
Domestic Supply (DS)	30	8	0.3
Non-Domestic Non-Commercial Supply (NDNCS)	25	12	0.4
Commercial Supply (CS)	25	12	0.4
Small Industrial Power Supply (SIP)	25	8	0.6
Medium Industrial Power Supply (MIP)	25	12	0.6
Large Industrial Power Supply (LIPS)	25	20	0.75
Irrigation and Drinking Water Pumping Supply (IDWPS).	30	12	1
Bulk Supply (BS)	30	12	1
Street Lighting Supply (SLS)	30	10	1
Temporary Metered Supply (TMS)	30	12	1
Railway Traction	30	12	1

Provided that in case of Below Poverty Line (BPL) beneficiary, the rate of initial security deposit shall be equal to 'one half' (or '50%') of the respective rate that would have been applicable in normal cases;

Explanation.—For this purpose the "Below Poverty Line (BPL) beneficiary" means the person belonging to very poor category of persons below poverty line, declared as such, by general or special order, by Central/State Government, from time to time."

(2) Save as provided in the 3rd proviso to this sub-regulation, the distribution licensee shall calculate the category wise rates of security deposit in the beginning of the each financial year and circulate the same to its field units which shall be charged from the applicants to whom demand notices are issued on or after the first day of July of that year:

Provided that in case the issuance of tariff order for the relevant year is delayed for some reasons, such rates shall be worked out and applied *w.e.f* the 16th day from the date on which the retail tariff order is issued by the Commission:

Provided further that the rates applicable for the previous year shall continue to remain applicable till the rates based on the tariff order of the relevant current year are worked out and applied as per the first proviso to this sub-regulation:

Provided further that the distribution licensee shall work out and shall circulate the same before the 31st March, 2020 such rates for the period 1st April, 2020 to 30th June, 2021 by taking into account the average category wise rates as per the retail tariff order for the latest year as available on the said date."

- **4. Amendment of regulation 6.**—In regulation 6 of the said regulations —
- (i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation (1) shall be substituted, namely:—
 - "(1) General Review.—The distribution licensee shall, on first day of July of each year or soon thereafter, check the adequacy of the security deposit recovered by it from the each consumer excepting those specifically exempted from payment of security deposit in accordance with sub-regulations(1) of regulations 3 and shall ascertain, in case of each consumer, as to whether the amount already recovered from him on account of security deposit falls short of the amount required to be maintained in accordance with sub-regulation (3) of regulation 4 and shall, in case of any shortfall, issue demand notice for the additional security deposit as per sub-regulations (2) of this regulation:

Provided that in cases falling under sub-regulation (6) of regulation 4, or when the circumstances otherwise so warrant, the distribution licensee may carry out special review in relation to individual consumers even more than once in a year on the basis of average billing for 12 months immediately preceding the month in which such additional review is made.

(ii) in clause (a) under sub-regulation (2), for the existing proviso, the following provisos shall be substituted, namely:—

"Provided that if the shortfall is less than Rupees 500 (five hundred only) of the existing security deposit, no demand shall be made by the licensee:

Provided further that, save as provided in the fourth proviso to this clause, the amount of additional security deposit to be demanded in any period of three months shall not exceed 30% of the average monthly bills raised in relation to the period of twelve billing months (April to March) of the immediately preceding year:

Provided further that in case the demand for additional security deposit is restricted in accordance with the preceding proviso, the demand (s) for the balance amount of additional security deposit shall be raised at intervals of three months ensuring that the limit as per the preceding proviso is not exceeded in any such demand notice for additional security deposit:

Provided further that the amount of additional security deposit in case of existing consumers appearing in the list of poor credit rated consumer (s) as per sub-regulation (2) of regulation 9, the entire amount of additional security deposit shall be recovered through a single demand notice and the restriction as per the preceding two provisions shall not be applicable in that case."

- **5. Amendment of regulation 8.**—for sub-regulation (2) of regulation 8 of the said regulations, the following sub-regulation (2) shall be substituted, namely:—
 - "(2) In case of permanent reduction of connected load (in case of single part tariff) and contract demand (in case of two part tariff), the total amount of security deposit already

recovered from that consumer shall be apportioned against the security deposit for the balance connected load/contract demand, as the case may be, worked out at the rates of initial security deposit as applicable for FY 2020-21 or any subsequent period encompassing the effective date of such reduction and the balance amount of security deposit already recovered, if any, shall be refunded to that consumer after adjusting the outstanding dues recoverable from him:

Provided that such refund, if due, shall first be made by way of release of bank guarantee, if any, to that extent and the refund in cash shall be made only after exhausting the said mode involving release of bank guarantee:

Provided further that refund, if due, shall be made to the consumer within thirty days of the effective date of reduction of connected load /contract demand:

Provided further that in case where any refund is required to be made in cash, if such refund is delayed beyond the period of 30 days as specified above, the distribution licensee shall pay the simple interest @12% per annum on the such amount for the numbers of days for which the same is unduly withheld (other than bank guarantee) beyond the permitted period of 30 days.

By order of the Commission,

Sd/-Secretary.

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 15th February, 2020

No. HPERC-B (3)-1/2011-705-Vol-VI.—In exercise of the powers conferred by clause (zk) of sub-section (2) of Section 181, read with sub-section (2) and (3) of Section 91 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publication, hereby makes the following regulations, namely:—

REGULATIONS

- 1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Service of Staff) (First Amendment) Regulations, 2020.
- (2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
- **2. Insertion in PART-II of the Schedule-II.**—In PART-II of the Schedule-II of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Service of Staff) Regulations, 2013, after item 9, the following item at Sr. No. 9-A shall be inserted, namely:—

Sr. No.	Name of Post	Minimum Qualifications and other eligibility conditions
"9-A.	Deputy Director (Law)	By promotion from amongst the Law Officers, who possess Degree in Law from a recognised University with eight years regular service, including <i>adhoc</i> service rendered, if any".

By order of the Commission, Sd/Secretary.

In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of:

- 1. Sh. Nishant Chauhan s/o Shri Sunil Kumar, r/o Village Hawani, P.O. Baffrin, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
- 2. Smt. Faigosari Daimari d/o Shri Rupson Daimari, r/o Village Bhura Chuburi, P.O. Udal Guri, Tehsil & District Udal Guri, Assam **Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for registration of Marriage.

Sh. Nishant Chauhan & Smt. Faigosari Daimari have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 26-01-2020 as per the Hindu ritual and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objection personally or in writing, before this court on or before 16-03-2020. In case no objection is received by 16-03-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 03-02-2020.

Seal. Sd/-

In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of:

- 1. Sh. Abhishek Singh s/o Shri Karam Singh, r/o V.P.O. & Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) at present residing in the house of Smt. Chanchlo Devi w/o Sh. Ranbir Singh, r/o Village Chanwal, P.O. Janiara, Tehsil & District Hamirpur(H.P.).
- 2. Smt. Ritu Rani d/o Shri Rajender Singh, r/o Village, P.O. & Tehsil Gharaunda, District Karnal, Haryana "Applicants."

Versus

General Public

Subject.— Notice for registration of Marriage.

Sh. Abhishek Singh & Smt. Ritu Rani have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 01-01-2020 as per the Hindu ritual and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objection personally or in writing, before this court on or before 16-03-2020. In case no objection is received by 16-03-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 04-02-2020.

Seal.

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur (H.P.).

In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of:

- 1. Sh. Baanke Lal s/o Shri Krishan Dyal, r/o V.P.O. Ukhali, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
- 2. Smt. Seema Devi d/o Shri Puran Chand, r/o Village Bulla Ouchha, P.O. Massal, Tehsil & District Kangra (H.P.). "Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for registration of Marriage.

Sh. Baanke Lal & Smt. Seema Devi have filed an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 06-05-2019 as per the Hindu ritual and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objection personally or in writing, before this court on or before 16-03-2020. In case no objection is received by 16-03-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 03-02-2020.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

In the Court of Dr. Charanji Lal, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of:

- 1. Sh. Vishal Dhiman s/o Shri Rakesh Kumar, r/o Village Ropa, P.O. Nalti, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
- 2. Miss Manisha Kumari d/o Shri Joginder Kumar, r/o Village and P.O. Hatwar Har, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.). "Applicants."

Versus

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage.

Sh. Vishal Dhiman & Miss Manisha Kumari have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they intend to solemnzed their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objection personally or in writing, before this court on or before 17-03-2020. In case no objection is received by 17-03-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 06-02-2020.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

In the Court of Dr. Charanji Lal, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of:

- 1. Sh. Basil Philip Kunnath s/o Shri Antony Kunnath, r/o B-4/1 Suyog, Nagar Babhola Chulne Road, Suyog Nagar, Vasai Road West, Vasai, District Palghar, Maharashtra at present C/o Smt. Rakesh Rani Verma, House No. 421, Ward No. 1, Anu, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
- 2. Miss Kiran Bhadana d/o Shri Attar Singh, r/o Sagar Farm Vayana, Distt. Bharatpur, Rajasthan at present SDM Nadaun, District Hamirpur (H.P.). **Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage.

Sh. Basil Philip Kunnath & Miss Kiran Bhadana have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they intend to solemnzed their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objection personally or in writing, before this court on or before 11-03-2020. In case no objection is received by 11-03-2020, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 01-02-2020.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of:

Chandan urf Chandan Kumar son of Sh. Balak Ram Bhardwaj, resident of House No. 47, Housing Board Colony, Vikas Nagar, Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

. . Applicants.

Versus

General Public ...Respondents.

<u>Subject</u>.— Proclamation regarding change of name.

Whereas Chandan urf Chandan Kumar son of Sh. Balak Ram Bhardwaj, resident of House No. 47, Housing Board Colony, Vikas Nagar, Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) alongwith copies of Matric Certificate, Adhar Card, News paper cutting, Voter Card, Matric Certificate, Degree Certificate, Pan Cards etc. alongwith affidavit for change of his name for proclamation of his changed name in official gazette *i.e.* Chandan urf Chandan Kumar son of Sh. Balak Ram Bhardwaj to Chandan Bhardwaj son of Sh. Balak Ram Bhardwaj.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding proclamation of his changed name in official gazette *i.e.* Chandan urf Chandan Kumar son of Sh. Balak Ram Bhardwaj to Chandan Bhardwaj son of Sh. Balak Ram Bhardwaj. can file the objection personally or in writing before this court of undersigned on or before 01-03-2020. The objection received after 01-03-2020 will not be entertained and order will be issued for correctness of name of the applicant accordingly.

Issued today on 01-02-2020 under my hand and seal of the court.

Seal

Sd/-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

ब अदालत तहसीलदार व अख्ऱ्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा नं0 : 4 / NT/20

Smt. Lhosang w/o Tsering Bhakto, r/o Forsythganj, Dharamshala Cantt., Distt. Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Smt. Lhosang w/o Tsering Bhakto, r/o Forsythganj, Dharamshala Cantt., Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके / उसकी पुत्र / पुत्री / पिता की जन्म / मृत्यु दिनांक 01—07—1984 है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला में जन्म / मृत्यु रिजस्टर में पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Yangchen की जन्म / मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 20—02—2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म / मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

मोहर।

ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 2 / तह0 / 2020 तारीख पेशी : 28-02-2020

शीर्षक : जगदेव सिंह वगैरा बनाम आम जनता

विषय.—-प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

प्रार्थी श्री जगदेव सिंह पुत्र साहिब सिंह व आशा पत्नी श्री जगदेव सिंह, निवासी गांव अंदरुन डमटाल, डाकघर डमटाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की शादी 08—11—1995 को ग्राम पंचायत सिरत, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थीगण ने अपने विवाह को ग्राम पंचायत सिरत, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के अभिलेख में या अन्य स्थान पर पंजीकृत न करवाया हुआ है। प्रार्थीगण अपने विवाह की तिथि को पंजीकृत करवाना चाहते हैं। अतः उक्त विवाह को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमित प्रदान करे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थीगण श्री जगदेव सिंह पुत्र साहिब सिंह व आशा पत्नी श्री जगदेव सिंह, निवासी गांव अंदरुन डमटाल, डाकघर डमटाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28—02—2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / — नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र०।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : विवाह पंजीकरण। पेशी : 24-02-2020

अनमोल कुमार पुत्र श्री हरबंश लाल, गांव गगल, डाकघर लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 व रेनू वाला पुत्री श्री ज्ञान चन्द गांव व डाकघर सुन्ही, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण की अनुमति प्रदान करने बारे।

प्रार्थीगण अनमोल कुमार पुत्र श्री हरबंश लाल, गांव गगल, डाकघर लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 व रेनू वाला पुत्री श्री ज्ञान चन्द गांव व डाकघर सुन्ही, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति—रिवाज के साथ दिनांक 25—02—2001 को हुई है परन्तु अज्ञानता के कारण उनकी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत मकरोटी, विकास खण्ड रैत के रिकार्ड में दर्ज न हो सका है। जिसे प्रार्थीगण अब दर्ज करवाना चाहते है।

अतः इश्तहार समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता में मुश्त्री मुनादी करवाई जाती है कि प्रार्थीगण की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को या लड़की के मायका पक्ष को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24—02—2020 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर आकर अपना उजरात / एतराज पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार शादी का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-01-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : दुरुस्ती जाति

पेशी : 11-03-2020

प्रवीन चन्द पुत्र श्री शराबी राम पुत्र श्री दुगसा, निवासी गांव व डाकघर हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—महाल व मौजा हरनेरा में जाति दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पूर्वजों की मुताबिक शजरा नशव महाल व मौजा झिकली कुगती, तहसील भरमौर की मिसल हकीयत बन्दोबस्त जदीद में उसकी सही जाति व गोत क्रमशः गद्दी ब्राहमण व उत्तम दर्ज है, पर महाल व मौजा हरनेरा, तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उसकी जाति व गोत क्रमशः गद्दी राजपूत व उत्तम का इन्द्राज हो गया है जोकि गलत है। प्रार्थी उक्त जाति व गोत को दुरुस्त करके जाति व गोत क्रमशः गद्दी ब्राहमण व उत्तम से दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दुरूस्ती बारे आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 11—03—2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 31-01-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 24-02-2020

सीमा देवी पत्नी वद्री रिषिदेव, निवासी गांव व डाकघर चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.——जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण—पत्र लेने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिन ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी पुत्री अदिति का जन्म दिनांक 19—04—2016 व पुत्र अंश रिषिदेव का जन्म दिनांक 01—07—2018 को महाल चड़ी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत चड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिन अपने बच्चों की जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24—02—2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 23–01–2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 06-03-2020

आशा देवी पत्नी मेजर सिंह, निवासी गांव व डाकघर रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.——जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण—पत्र लेने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिन ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र अरमान का जन्म दिनांक 09—03—2012 को महाल रेहलू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिन उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06—03—2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 22-01-2020 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Jamyang Tenzin s/o Norbu r/o Tibetan Handucraft Centre Mecleodganj, P.O. Mecleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

Vs.

आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Jamyang Tenzin s/o Norbu r/o Tibetan Handucraft Centre Mecleodganj, P.O. Mecleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ—पत्र सिंहत मुकद्दमा दायर किया है कि उसके लड़के Tenzin Yangkyi की जन्म तिथि 11—04—2018 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Yangkyi का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 22—06—2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री चरन दास कपूर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

अर्जुन कुमार सुपुत्र स्व0 श्री दुर्गा प्रशाद उर्फ दुर्गा दास, गांव व डाकघर सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत सकडी

सर्वसाधारण को बजिरया इश्तहार मकफूद—उल—खबरी द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वादी ने आवेदन—पत्र दिया है कि उनके पिता श्री दुर्गा प्रशाद उर्फ दुर्गा दास पुत्र स्व० श्री भागीरथ, गांव व डाकघर सकड़ी, तहसील बैजनाथ जोकि मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में नौकरी करते थे दिनांक 25—03—1969 से लापता है। उन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 24—03—1976 से मृतक घोषित किया गया है। इतना समय व्यतीत होने के बावजुद आज तक उनका ढूंढने पर कोई भी पता न लगा। श्री दुर्गा प्रशाद उर्फ दुर्गा दास पुत्र स्व० श्री भागीरथ, गांव व डाकघर सकड़ी, तहसील बैजनाथ के नाम महाल सकड़ी खास, घाड़ वही व हार वही तहसील बैजनाथ में भूमि कागजात माल में दर्ज है। राजस्व महाल में दर्ज भूमि को उनके वारसान के नाम बजिरया इन्तकाल हस्तांतरित किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को बजिरया इश्तहार मकफूद—उल—खबरी द्वारा सूचित किया जाता है अगर किसी को उक्त श्री दुर्गा प्रशाद उर्फ दुर्गा दास पुत्र स्व0 श्री भागीरथ, गांव व डाकघर सकड़ी, तहसील बैजनाथ की गुमशुद्धगी बारे कोई आपित हो तो वह दिनांक 11—03—2020 से पहले—पहले अधोहस्ताक्षरी की अदालत में अपने अक्षेप दर्ज करवा सकता है, आपित न होने की सूरत में श्री दुर्गा प्रशाद उर्फ दुर्गा दास पुत्र स्व0 श्री भागीरथ, गांव व डाकघर सकड़ी, तहसील बैजनाथ के वारसान के नाम भूमि बजिरया इन्तकाल हस्तांतिरित कर दी जाएगी।

आज दिनांक 07-02-2020 की मेरी अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगडा, हि० प्र०।

ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री Vijay Kumar s/o Sh. Ram Lal, r/o Village Kasba Baijnath, P.O. Baijnath, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत / ग्राम पंचायत बैजनाथ-पपरोला

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्री Vijay Kumar s/o Sh. Ram Lal, r/o Village Kasba Baijnath, P.O. Baijnath, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 09—04—1988 को महाल कस्बा बैजनाथ में हुआ था, जोकि सम्बन्धित पंचायत / नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 11–03–2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री Shambhu Ram s/o Sh. Jeevo Ram, r/o V.P.O. Baijnath, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत / ग्राम पंचायत बैजनाथ,

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्री Shambhu Ram s/o Sh. Jeevo Ram, r/o V.P.O. Baijnath, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसकी मां Maina Devi की मृत्यु दिनांक 26—06—2007 को महाल बैजनाथ में हुई थी, जोकि सम्बन्धित पंचायत / नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 13—03—2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगडा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती Jhako Devi w/o Sh. Sajan lal, r/o V.P.O. Mandher तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत / ग्राम पंचायत मण्डेढ

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्रीमती Jhako Devi w/o Sh. Sajan lal, r/o V.P.O. Mandher तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की Sunaina का जन्म दिनांक 22—03—2013 को महाल मण्डेढ़ में हुआ था, जोकि सम्बन्धित पंचायत / नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 13—03—2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / — सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र०।

ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती Bhavna Devi w/o Sh. Mangat Ram, r/o V.P.O. Rajot, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत / ग्राम पंचायत रजोट

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्रीमती Bhavna Devi w/o Sh. Mangat Ram, r/o V.P.O. Rajot, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसकी सास Murtu Devi की मृत्यु दिनांक 15—07—1995 को महाल रजोट में हुई थी, जोकि पंचायत / नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 12—03—2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र०।

ब अदालत श्री चरन दास कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री Sourav s/o Sh. Vinod Kumar, r/o V.P.O. Nagehar, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता नगर पंचायत / ग्राम पंचायत बंडियां

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्री Sourav s/o Sh. Vinod Kumar, r/o V.P.O. Nagehar, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 15—09—2000 को महाल नगेहड़ में हुआ था, जोकि सम्बन्धित पंचायत / नगर पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 09—03—2020 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री अशोक कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किरम नाम दुरुस्ती ।

श्री चन्दरमनी राणा पुत्र श्री गुलाब सिंह राणा, निवासी महाल कुंसल व डाकघर ठारा तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थी।

श्री चन्दरमनी राणा पुत्र श्री गुलाब सिंह राणा, निवासी महाल कुंसल व डाकघर ठारा तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि मेरे पिता का नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड में श्री गुलाब सिंह राणा दर्ज है जोिक सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल छम्ब में इंतकाल करते समय मेरा नाम पुनी चन्द दर्ज है जोिक गलत दर्ज है। आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल छम्ब में सही नाम पुनी चन्द उर्फ श्री गुलाब सिंह राणा पुत्र जोधा राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13—03—2020 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं गैर—हाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 08-01-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री सुख राम, निवासी महाल कुडंग, डाकघर भिरडी, उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री सुख राम, निवासी महाल कुडंग, डाकघर भिरडी, उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 03—04—1954 को ग्राम पंचायत कुड़ंग, उप—तहसील चढ़ियार में हुआ है। परन्तु अज्ञानवश उस समय पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न किया गया है इसलिए पुजीकरण करने के आदेश दिए जांए।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार / मुशत्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13—03—2020 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 17-01-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगडा (हि0 प्र0)।

मोहर।

ब अदालत श्री अशोक कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी महाल बल्ह व डाकघर ढण्डोल, उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थी ।

श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी महाल बल्ह व डाकघर ढण्डोल, उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि मेरे पति का नाम आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पंचायत रिकार्ड में श्री ओम प्रकाश दर्ज है जोकि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बल्ह व ढण्डोल में इंतकाल करते समय मेरे पति का नाम प्रकाम चन्द दर्ज हो गया है जोकि गलत दर्ज है आवेदिका अपने पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल बल्ह व ढण्डोल में सही नाम ओम प्रकाश उर्फ प्रकाम चन्द पुत्र नहाठा दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार / मुशत्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13—03—2020 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते है गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-01-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अशोक कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री श्रीराम पुत्र श्री भूरी सिंह, निवासी महाल ढण्डोल व डाकघर ढण्डोल, उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

ः प्रत्यार्थी

श्री श्रीराम पुत्र श्री भूरी सिंह, निवासी महाल ढण्डोल व डाकघर ढण्डोल, उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय / न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि मेरे पित का नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड में श्रीराम दर्ज है जोिक सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ढण्डोल में इंतकाल करते समय मेरे पित का नाम श्रीधर पुत्र भूरी सिंह दर्ज हो गया है जोिक गलत दर्ज है आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल ढण्डोल में सही नाम श्रीधर उर्फ श्रीराम पुत्र श्री भूरी सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार / मुशत्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13—03—2020 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते है गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-01-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अशोक कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री पुरुषोतम चन्द पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी महाल बल्ह व डाकघर ढण्डोल, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थी

श्री पुरुषोतम चन्द पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी महाल बल्ह व डाकघर ढण्डोल, उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय / न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड, विकलांग पहचान—पत्र, स्कूल प्रमाण—पत्र में पुरुषोतम चन्द दर्ज है जोकि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बल्ह व ढण्डोल में इंतकाल करते समय मेरा नाम पुरुषोतम सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह दर्ज हो गया है जोकि गलत दर्ज है आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल बल्ह व ढण्डोल में सही नाम पुरुषोतम चन्द उर्फ पुरुषोतम सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार / मुशत्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13—03—2020 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते है गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-01-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री पुर्ण चन्द पुत्र स्व0 श्री भागी राम पुत्र स्व0 श्री शैयरू, निवासी डूंखरा, डाकघर जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता : प्रत्यार्थी।

विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना—पत्र श्री पुर्ण चन्द पुत्र स्व० श्री भागी राम पुत्र स्व० श्री शैयरू, निवासी डूंखरा, डाकघर जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि० प्र० द्वारा दिनांक 04—10—2019 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसके भाई का नाम वाकया फाटी जरी कोठी, हरकण्डी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि० प्र० के राजस्व रिकार्ड में श्री परस राम पुत्र स्व० श्री भागी राम दर्ज है जबिक असली नाम श्री ओम प्रकाश है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपने भाई का नाम श्री परस राम से दुरुस्त करके परस राम उर्फ ओम प्रकाश दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22—02—2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि०प्र०।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 14—BT / 2020

दायर तिथि : 24-01-2020

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, गांव गड़सा, डाकघर गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार साकन, गांव गड़सा, डाकघर गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 24—12—1987 को स्थान गांव गड़सा, डाकघर गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मनोज कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार के जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपित हो तो वह दिनांक 03–03–2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि० प्र०।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 13-BT / 2020

दायर तिथि : 15-01-2020

श्रीमती सोनिया पुत्री श्री नन्द लाल हाल पत्नी श्री परमानन्द, गांव कंगर, डाकघर चम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सोनिया पुत्री श्री नन्द लाल हाल पत्नी श्री परमानन्द, गांव कंगर, डाकघर चम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 26—11—1986 को स्थान गांव शाड़ाबाई, डाकघर बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मशगां, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती सोनिया पुत्री श्री नन्द लाल हाल पत्नी श्री परमानन्द के जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22—02—2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28–01–2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 46—BT / 2019

दायर तिथि : 18-10-2019

श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री थैलु राम हाल पत्नी श्री रेवत राम, गांव शाहिटा, डाकघर कसलादी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री थैलु राम हाल पत्नी श्री रेवत राम साकन, गांव शाहिटा, डाकघर कसलादी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 01—07—1984 को स्थान गांव शाहिटा, डाकघर कसलादी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत पीणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री थैलु राम हाल पत्नी श्री रेवत राम के जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22—02—2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र०।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्रीमती सरला देवी पत्नी स्व0 श्री पूरन चन्द, निवासी गांव घाट, डाकघर चेथर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिन ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हिल्फया इस आशय से गुजारा है कि उसके पति स्व0 श्री पूरन चन्द की मृत्यु तिथि 22—11—2005 है, जो कि ग्राम पंचायत शिकारीघाट के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे प्रार्थिन अब दर्ज करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिन के पित स्व0 श्री पूरन चन्द की मृत्यु तिथि 22—11—2005 ग्राम पंचायत शिकारीघाट के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपित हो तो वह दिनांक 29—02—2020 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपित दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 28-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री हरी सिंह पुत्र श्री प्यारे राम, निवासी गांव सेरी, डाकघर जीभी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी श्री हरी सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हिल्फया इस आशय से गुजारा है कि उसकी बहन स्व0 श्रीमती बिमला देवी की मृत्यु तिथि 05—04—1982 है, जो कि ग्राम पंचायत तांदी, तहसील बन्जार के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की बहन श्रीमती बिमला देवी की मृत्यु तिथि 05—04—1982 ग्राम पंचायत तांदी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपित हो तो वह दिनांक 29—02—2020 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपित दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 28-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री तिलक राज पुत्र श्री वाले राम, निवासी गांव वुहारा, डाकघर कलवारी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 व श्रीमती डोडी देवी पुत्री श्री वेद राम, निवासी गांव नथानं, डाकघर लराकेलों, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हिल्फया इस आशय से गुजारा है कि उन्होंने दिनांक 28—03—2018 को अपनी शादी हसव रिवाज मुल्क व कौम के आपस में कर ली है। जो कि गलती से ग्राम पंचायत कलवारी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं और अब वे अपने शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत कलवारी के अभिलेख में करवाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री तिलक राज पुत्र श्री वाले राम व श्रीमती डोडी देवी पुत्री श्री वेद राम की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत कलवारी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपित हो तो वह दिनांक 29–02–2020 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपित दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत शादी की तिथि 28–03–2018 इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 28-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री ओम चन्द पुत्र श्री राम लाल, निवासी गांव लाकचा, डाकघर नोहाण्डारोपा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री ओम चन्द ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हिल्फया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र अजय ठाकुर की जन्म तिथि 20—10—2016 है, जो कि ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ओम चन्द पुत्र अजय ठाकुर की जन्म तिथि 20—10—2016 को ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29–02–2020 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 28-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री तारा चन्द पुत्र श्री तवारू राम, निवासी केऊरी, डाकघर नित्थर, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

·· प्रतिवादी।

जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री तारा चन्द पुत्र श्री तवारू राम, निवासी केऊरी, डाकघर नित्थर, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने आवेदन—पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र रमन का जन्म दिनांक 12—12—2007 को हुआ है लेकिन वह भूल के कारण उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत नित्थर में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28–02–2020 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त जन्म तिथि 12–12–2007 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28–01–2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र०।

ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नंo: 06/ME/NT/2020

श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री देवी राम, गांव बडाग्रा, डाकघर भुटठी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती कान्छी देवी पुत्री श्री दीपक राम, गांव चौकी डोभी, डाकघर पुईद खरल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 बनाम

आम जनता

·· प्रतिवादीगण।

विषय.—– प्रार्थना–पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 01—02—2020 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10—08—2018 को हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार स्थान बडाग्रा में शादी कर ली है और तब से दोनों पति—पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगणों द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 03—03—2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र०।

ब अदालत श्री दौलत राम ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नंo: 05/ME/NT/2020

श्री राजीव जसवाल पुत्र प्रकाश सिंह जसवाल, निवासी गांव बेहबल, डाकघर माजं बडा, तहसील होशियारपुर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

श्रीमती शिल्पा सेन पुत्री स्व0 श्री राजेश सेन, निवासी गांव बाशिंग, डाकघर बवेली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

·· प्रतिवादीगण।

विषय.—– प्रार्थना–पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक————को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10—10—2018 को हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार स्थान बाशिंग में शादी कर ली है और तब से दोनों पति—पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगणों द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 03—03—2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री किशन चन्द पुत्र श्री कांशी राम पुत्र राम दयाल, निवासी गांव शराणी बेहड़ कोठी जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थी।

विषय.—–दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना—पत्र श्री किशन चन्द पुत्र श्री कांशी राम पुत्र राम दयाल, निवासी गांव शराणी बेहड़ फाटी जरी कोठी हरकण्डी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 17—12—2019 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी जरी कोठी हरकण्डी खाता खतौनी नं0 225/345, कित्ता 10, नकल जमाबन्दी वर्ष 2015—16 में उसका नाम श्री किशन चन्द पुत्र श्री कांशी राम की जगह कृष्ण चन्द पुत्र कांशी राम दर्ज हुआ है व खाता खतौनी नं0 51/63, खसरा नं0 1084 नकल जमाबन्दी वर्ष 2015—16 में जो उसका नाम श्री किशन चन्द पुत्र श्री कांशी राम की जगह राम कृष्ण उर्फ किशन चन्द पुत्र कांशी राम दर्ज हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थीगण अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम कृष्ण चन्द व राम कृष्ण उर्फ किशन चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22—02—2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि० प्र०)

श्रीमती शकुंतला देवी पुत्री श्री पुने रामहाल पत्नी श्री बेली राम, गांव मनानी, डाकघर गुशैणी, तहसील बन्जार,जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969

श्रीमती शकुंतला देवी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 01—06—1979 को है। जो कि ग्राम पंचायत तूंग के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहती है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती शकुंतला देवी की जन्म तिथि 01–06–1979 ग्राम पंचायत तूंग के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपित हो तो वह दिनांक 06–03–2020 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपित दर्ज करें। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री डोला सिंह पुत्र श्री तेजा राम, निवासी गांव भड़ैच, डाकघर गहीधार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) व श्रीमती शालू देवी पुत्री श्री उदे राम, निवासी गांव लाहुण्ड, डाकघर व तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय व्यान हिस्फया इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 05—09—2016 को अपनी शादी हसव रिवाज मुल्क व कौम के आपस में कर ली है। जोकि गलती से ग्राम पंचायत गहीधार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं और अब वे अपनी शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत गहीधार के अभीलेख में करवाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री डोला सिंह पुत्र श्री तेजा राम व श्रीमती शालू देवी पुत्री श्री उदे राम की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत गहीधार के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपित हो तो वह दिनांक 06—03—2020 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपित दर्ज करें। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियमें, 2004 धारा 4(2) के तहत शादी की तिथि 05–09–2016 इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

किरम मुक्दमा.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करने बारे।

श्री श्याम लाल पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव शजुहली, फाटी चनौन, डाकघर चनौन, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ—पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना—पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राम लाल लिखा गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का नाम श्याम लाल है जो कि सही है इसे दुरूस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राम लाल की जगह श्याम लाल करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 06—03—2020 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 13-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री राम लाल चौहान पुत्र श्री गुलाबू राम

बनाम

आम जनता

किरम मुकद्दमा.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करने बारे।

श्री राम लाल चौहान पुत्र श्री गुलाबू राम, निवासी गांव सेरी, फाटी तान्दीकोठी तलोकपूर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ—पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना—पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राम लाल लिखा गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का नाम राम लाल चौहान है जो कि सही है इसे दुरूस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राम लाल की जगह राम लाल चौहान करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 06—03—2020 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्रीमती बेगमा देवी पुत्री श्री दया राम, गांव घाट, डाकघर नोहाण्डा रोपा, तहसील बन्जार,जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969

श्रीमती बेगमा देवी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 15—06—1949 को है। जो कि ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहती है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती बेगमा देवी की जन्म तिथि 15—06—1949 ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपित हो तो वह दिनांक 06—03—2020 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपित दर्ज करें। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

In the Court of Sh. Krishan Kumar HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, H. P.

In the matter of:

- 1. Mr. Raman Kant s/o Sh. Balak Ram, r/o Village & P.O. Theog, Tehsil Theog, District Shimla, H. P.
- 2. Miss Neelam Kumari d/o Sh. Rai Singh, r/o Village & P.O. Tiamal, Tehsil Dada Sibba, District Kangra, H. P. Applicant.

Versus

The General Public . . Respondent.

Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Mr. Raman Kant s/o Sh. Balak Ram and Miss Neelam Kumari d/o Sh. Rai Singh have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 02-02-2010 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage is to be registered under Special Marriage Act, 1954 under section 15.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before within 30 days from the date of publication of this notice after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 29th day of January, 2020.

Seal

KRISHAN KUMAR HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, H.P.

ब अदालत श्री महेश दत्त शर्मा, नायब—तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री दया राम, निवासी कुईना काटली, डाकघर जनोट, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.——जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री दया राम, निवासी कुईना काटली, डाकघर जनोट, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती सालगी देवी पत्नी श्री दया राम की मृत्यु मिति 05—08—1992 को हुई है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सुरला जनोट, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 07—03—2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 29-01-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार पच्छाद, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री हीरालाल हिमराल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री गणेश दत्त पुत्र स्व0 श्री रिखी राम, निवासी ग्राम चौकी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.——जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गणेश दत्त पुत्र स्व0 श्री रिखी राम, निवासी ग्राम चौकी, डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र जिला रिजस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी माता जी श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री रिखीराम का देहान्त दिनांक 10—08—1987 को हो चुका था। जिनकी मुत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवाया जा सका है तथा अनुरोध किया गया कि इनकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत में दर्ज करवाया जावे उक्त प्रार्थना—पत्र जिला रिजस्ट्रार द्वारा उस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृतका की मृत्यु का इन्द्राज पंचायत रिकार्ड सराहां में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो तिथि 07–03–2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 29-01-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री महेश दत्त शर्मा, नायब—तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री नारायण चन्द्र विश्वास पुत्र श्री मौनिन्द्र नाथ, निवासी ढंगयार, डाकघर बनी बखोली, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

आम जनता

दरख्वास्त.——जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नारायण चन्द्र विश्वास पुत्र श्री मौनिन्द्र नाथ, निवासी ढंगयार, डाकघर बनी बखोली, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र श्री प्रभाकर विश्वास पुत्र नारायण चन्द्र विश्वास का जन्म मिति 30—12—2006 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनी बखोली, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16–03–2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07–02–2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

कार्यकारी दण्डाधिकारी, एवं नायब तहसीलदार पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री महेश दत्त शर्मा, नायब—तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री दौलत राम, निवासी चौकी, डाकघर जामन की सैर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.——जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री दौलत राम, निवासी चौकी, डाकघर जामन की सैर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसके भतीजे श्री विरेन्द्र मोहन पुत्र बलवन्त सिंह का जन्म मिति 06—4—2001 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सराहां, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16–03–2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री महेश दत्त शर्मा, नायब—तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री दयाल चन्द पुत्र श्री रूलिया राम, निवासी मेन बाजार सराहां, डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.——जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दयाल चन्द पुत्र श्री रूलिया राम, निवासी मेंन बाजार सराहां, डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसके भतीजे श्री प्रेम चन्द पुत्र फग्गू राम की मृत्यु मिति 24—07—1975 को हुई है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सराहां, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16–03–2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, एवं नायब तहसीलदार

पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री शिव कुमार पुत्र श्री करतारा, निवासी बांगरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शिव कुमार पुत्र श्री करतारा, निवासी बांगरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पिता करतारा की मृत्यु तिथि 26—02—2018 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत बांगरन में अपने पिता की मृत्यु तिथि 26—02—2018 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को करतारा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बांगरन, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 03-03-2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त करतारा की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र०।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री हरमोहन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह कंवल, निवासी वार्ड नं० ७, मेन बाजार पांवटा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यू पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरमोहन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह कंवल, निवासी वार्ड नं० 7, मेन बाजार पांवटा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी हरमोहन सिंह की जन्म तिथि 01—07—1972 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित M. C. Paonta Sahib में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने M. C. Paonta Sahib में अपनी जन्म तिथि 01—07—1972 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को हरमोहन सिंह की जन्म तिथि M. C. Paonta Sahib, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 03–03–2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त हरमोहन सिंह की जन्म तिथि M. C. Paonta Sahib में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार अपनी जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-02-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र०।

ब अदालत श्री आत्मा राम नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 03 / 2019 तारीख मजरूआ : 18—02—2019 तारीख पेशी : 28—02—2020

उनवान : मोहन लाल बनाम रणबीर सिंह आदि

दरख्वास्त तकसीम बाबत खाता खतौनी नम्बर 24 / 28 ता 38, कित्ता 52, तादादी 185–05 बीघा, माल 7–61 पैसे वाका मौजा चन्द्रौना पति टाली, तहसील नौहरा, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

सायल उपरोक्त ने अदालत हजा में दरख्वास्त तकसीम बाबत खाता खतौनी नम्बर 24/28 ता 38, किता 52, तादादी 185—05 बीघा, माल 7—61 पैसे वाका मौजा चन्द्रौना पित टाली, तहसील नौहरा, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में गुजारी है जिसमें सर्वश्री/श्रीमती संतोष पत्नी राजेन्द्र सिंह, निवासी भलयोग, तहसील राजगढ़, लच्छमी देवी पत्नी स्व0 श्री शिव राम, निवासी भाणत, तहसील राजगढ़, शकुन्तला पत्नी प्रताप सिंह, निवासी संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, रीता देवी पत्नी सुरेश, निवासी झांगन, तहसील राजगढ़, सुभाष चन्द आदि पुत्र प्रताप सिंह, निवासी टाली, तहसील नौहरा, कौंला देवी पुत्री कांशिया व फिशकी पत्नी स्व0 श्री कांशिया, निवासी भुटली, तहसील नौहरा, शान्ति पुत्री मोही राम, निवासी भुटली, नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मालकान को अदालत हजा से बार—बार समन जारी करने पर भी तामील नहीं हो रही है। जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि उन्हें साधारण तरीके से तामील कराई जानी सम्भव नहीं है।

अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से दीगर मालकान को सूचित किया जाता है कि अगर वह मुकद्दमा तकसीम में कोई उजर एवं एतराज प्रस्तुत करना चाहें तो वह दिनांक 28–02–2020 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में हाजिर आकर असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले समायत न होगा तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 29-01-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

आत्मा राम नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

समक्ष श्री राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ब मुकदमा :

श्री लक्ष्मी सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी तिरमली दयाड, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम।

श्री लक्ष्मी सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी तिरमली दयाड, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा दभूडी टिक्कर में लच्छी राम, मौजा तिरमली दयाड में लच्छमी सिंह दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम लक्ष्मी सिंह है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ परिवार नकल, राशन कार्ड अपना हिल्फया ब्यान संलग्न किया है जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा दभूडी टिक्कर और मौजा तिरमली दयाड में अपना नाम लक्ष्मी सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम तिरमली दयाड हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28–02–2020 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना–पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 28-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

समक्ष श्री राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री हीरा सिंह पुत्र श्री ढेलू, निवासी धारला, तहसील ददाहू, जिला सिरमीर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम।

श्री हीरा सिंह पुत्र श्री ढेलू, निवासी धारला, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा भाटगढ़ में हीरा दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम हीरा सिंह है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ परिवार नकल संलग्न किया है जिसमें प्रार्थी का नाम हीरा सिंह दर्ज है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम धारला, ग्राम पंचायत भाटगढ़ हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28–02–2020 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना–पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 28-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र०।

न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या :/ Teh. Una/M. Reg./2020

श्री रिव कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह, वासी जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री रिव कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह, वासी जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 04—12—2017 को सिरता पुत्री श्री मोहमद, वासी जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रिजस्ट्रार विवाह पंजीकरण वासी जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 05–03–2020 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 06-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या :/Teh. Una/M. Reg./2019

श्री पंकज कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, वासी टक्का, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री पंकज कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, वासी टक्का, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 14—11—2018 को गुंजन पुत्री श्री रमोतर, वासी नोगमा, जिला बरेली (उ0 प्र0) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत टक्का, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत टक्का, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 04–03–2020 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल घंडावल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) जमाबन्दी साल 2013–2014 में अनिल कुमारी की बजाये अल्का दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

बजरिया जमादार तहसील कार्यालय ऊना

इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा 23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थिया अल्का पुत्री यशपाल पुत्र मंगत राम, जात ब्राहम्ण, वासी गांव घंडावल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम अनिल कुमारी महाल घंडावल की खेवट नं0 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 36, 242, 244, 283 में गलत चला आ रहा है जबकि उसका सही नाम अल्का है। इस बारे अपना स्कूल स्टींफिकेट, पैन व शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दुरुस्ती बारे अगर किसी व्यक्ति को कोई उजर हो तो मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 17–03–2020 को प्रातः 10 बजे हाजिर आवें, न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 10-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Kumar s/o Anirudh Sharma, Village Thaliyal Uparli, Ward No. 05, P.O. Naura, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.) declare that in my EPF account my name is Sanjay Sharma and in my HDFC Bank Account Branch Delhi, Sanjay Kumar Sharma is wrongly entered. The correct name is Sanjay Kumar. All concern note.

SANJAY KUMAR, s/o Anirudh Sharma, Village Thaliyal Uparli, Ward No. 05, P.O. Naura, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.).